

पन्नाधाय जीवन अमृत योजना

- दिनांक 14 अगस्त, 06 से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक परिवार को बीमा का लाभ देने के उद्देश्य से "पन्नाधाय जीवन अमृत योजना" लागू की गई है।

पात्रता:-

- इस योजना में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की जारी की गई सूची में उल्लेखित परिवार का मुखिया जिसकी आयु 18 से 59 वर्ष के बीच की हो। ऐसे परिवार की मुखिया की आयु 60 वर्ष से एक दिन भी अधिक होने की स्थिति में उसके परिवार कार्ड में उल्लेखित वरिष्ठतम (सबसे बड़ा) व्यक्ति पात्र होगा।
- मुखिया को यह भी विकल्प होगा की वह चाहे तो अपने को बीमित कराये या मुख्य आजीविका कमाने वाले का बीमा कराये।

देय लाभ :-

- इस योजनान्तर्गत बीमित व्यक्ति के नामित सदस्य को निम्नांकित लाभ देय होगा। जिसका भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जावेगा।
- | | |
|---|----------------|
| (अ) सामान्य मृत्यु होने की दशा में | रूपये 30,000/- |
| (ब) दुर्घटना होने में मृत्यु होने अथवा स्थायी पूर्ण शारीरिक अपंगता यथा दो आंखें या दो हाथ/पैर या एक आंख व एक हाथ/पैर की क्षति होने पर | रूपये 75,000/- |
| (स) दुर्घटना में आंशिक अपंगता यथा एक आंख या एक हाथ/पैर की क्षति होने पर | रूपये 37,500/- |

गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति:

- बीमित सदस्य के 9वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत अधिकतम 2 बच्चों को छात्रवृत्ति रूपये 300/- प्रति छात्र प्रति तिमाही अर्थात् प्रतिवर्ष रूपये 1200/- प्रति छात्र देय है।

[दिशा निर्देश](#)